रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5, 1977 (फाल्गुन 14, 1898)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5, 1977 (PHALGUNA 14, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	235
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	291
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	17
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	263
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	703
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	877
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	97
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1051
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	245
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	19
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	927
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	39

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	235
PART I—SECTION 2.—Notification regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	291
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	17
PART I.—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	263
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	703
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	877
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	97
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1051
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	245
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	19
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	927
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	39

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 फरवरी 1977

सं० यू०-13019/2/77-ए० एन० एल०—भारत, सरकार, गृह मंत्रालय के तारीख 4 अक्तूबर, 1972 के समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 26/12/72-ए० एन० एल० का आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति, यह निदेश देते हैं कि उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जायेगा :—

"(च) संघ शासित क्षेत्र के मुख्य आयुक्त से सबद्ध अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति मे फिलहाल ग्रेट निकोबार और कच्छाल का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ।"

आर० एल० परदीप, निदेशक

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 1977

संकल्प

सीमेंट उद्योग मे अनुसंधान और विकास

सं० 5-9/74-सीमेंट—भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के संकल्प संख्या 5-9/74-सीमेंट दिनांक 7 जुलाई, 1975 जिसके द्वारा सीमेंट उद्योग में अनुसंधान और विकास कार्य का संचालन करने के लिय एक निदेशक समिति का गठन किया गया था उसमें आंशिक संशोधन करके भारत सरकार उद्योग मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि श्री आर० बी० रामन, भूतपूर्व सचिव (औद्योगिक विकास) निदेशन समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सभी संबंधितों को इस संकल्प की एक प्रति भेजी जाये तथा इसे भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाये।

विनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 1977

संख्या एल०-11018/1/76-एल० तथा एम०—भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग की 30-4-1976 की इसी संख्या की अधिसूचना तथा इस मंत्रालय की 23-9-1976 और 28-10-1976 की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, व्यावसायिक प्रबन्ध संबंधी विशेषज्ञ समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1. श्री एम० जी० बालसुब्रह्मण्यन,
सचिव,
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय। अध्यक्ष

2. श्री आर० सी० शुक्ल,
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना, फैडरेशन,
नयी दिल्ली । सदस्य

3 श्री पी० आर० कृष्णन,
सदस्य,
शासी परिषद्, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ,
पी० ओ० इराविमंगलम्
त्रिचूर, केरल । ,,

4 श्री एम० एम० के० वली,
मुख्य कार्यकारी,
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ,
नई दिल्ली । ,,

5. श्री टी० बालकृष्णन,
संयुक्त सचिव,
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय,
नई दिल्ली । ,,

6 श्री एम० एस० गिल,
प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
नई दिल्ली । ,,

7 श्री के माधव दास,
मुख्य अधिकारी,
भारतीय रिजर्व बैंक,
ए० सी० डी०, बम्बई । ,,

8 श्री पी० बी० शिनोई,
सचिव,
सहकारिता विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार,
कलकत्ता । ,,

9 श्री आर० श्रीनिवासन,
निदेशक,
ग्राम विकास विभाग,
नई दिल्ली । ,,

10. प्रो० जी० बी० कुलकर्णी,
निदेशक,
वमिनकोन, पुणे ।

11. श्री के० सुन्दरराजुलु,
प्रमुख (सहकारिता),
ग्राम बिजलीकरण निगम, नई दिल्ली । ,,

श्री आर० एल० नागपाल, उप निदेशक, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय, समिति के सचिव के रूप मे कार्य करेंगे।

सहकारी सोसायटियों के व्यावसायिक प्रबन्ध संबंधी विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 30-6-1977 तक बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश है कि इस अधिसूचना की प्रतिलिपि आम सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये।

यह भी आदेश है कि इस अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाये।

बी० एल० गर्ग, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी, 1977

संकल्प

सं० 7-9/76-एफ०आर०वाई एफ० आई० पी० सी०—केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने अक्तूबर, 1974 में हुई अपनी 14वीं बैठक में यह सिफारिश की कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि केवल कच्चे माल का उत्पाद करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है और न ही इसे पूंजी-निवेश माना जा सकता है तथा वानिकी कार्मिकों का उत्तरदायित्व डिपो को वानिकी उत्पाद का परिवहन तक ही सीमित है और इस बात पर भी विचार करते हुए कि आगामी 15 से 25 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में वानिकी संबंधी योजना बनाने के साथ-साथ औद्योगिक योजना भी बनानी होगी, संबंधित मंत्रालयों के बीच और अधिक निकट सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये। इसके अनुसरण में भारत सरकार ने दियासलाई उद्योग के लिये एक विकास समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति का गठन इस प्रकार होगा।

1. वन महानिरीक्षक तथा पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)	अध्यक्ष
2 औद्योगिक विकास मन्त्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
3 वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
4 विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली।	सदस्य
5 योजना आयोग, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
6. शिवकाशी चैम्बर आफ मैच इंडस्ट्रीज, शिवकाशी (दक्षिण भारत) 626123	सदस्य
7. अध्यक्ष वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय देहरादून।	सदस्य
8. महा वनपाल, अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर।	सदस्य
9. महा वनपाल महाराष्ट्र, पुणे	सदस्य
10 मुख्य समन्वयक, राष्ट्रीय वन संसाधन सर्वेक्षण	सदस्य
11. उद्योग निदेशक, अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर।	सदस्य
12. उद्योग निदेशक, महाराष्ट्र बम्बई।	सदस्य
13 वेस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी लि०, इंडियन मर्केन्टाइल, निथल रोड, बैलार्ड, एस्टेट, बम्बई-400001	सदस्य
14 सहायक वन महानिरीक्षक (वन संस्थान), कृषि विभाग।	संयोजक

कार्य

1. मौजूदा उद्योगों का वन के कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति पर विचार करना नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और समुचित उपायों की सिफारिश करना।
2. मौजूदा एककों के विस्तार अथवा नए एककों की स्थापना करने के लिये वन के कच्चे माल की सप्लाई के प्रस्तावों पर विचार करना।
3. वन के कच्चे माल की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के आधार पर बागान लगाने के कार्यक्रम की सिफारिश करना।
4. अब तक उपयोग में न लाए गए अथवा कम उपयोग में लाए गए वन के कच्चे माल के उपयोग के लिये विकास/अनुसंधान कार्यक्रम बनाना।
5. उपर्युक्त कार्यों के सम्बन्धित किसी अन्य पहलू पर अध्यक्ष की अनुमति से विचार करना।

समिति जब भी आवश्यक समझे किसी व्यक्ति/संगठन को सहयोजित कर सकती है।

समिति की अवधि

आरम्भ में समिति तीन वर्ष तक काम करेगी लेकिन इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।

समिति का मुख्य कार्यालय

समिति का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा। लेकिन समिति वनों पर आधारित उद्योगों से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण केन्द्र में अपनी बैठक कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

संकल्प

सं० 7-9/76-एफ० आर० वाई०एफ० आई० पी० सी०—केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने अक्तूबर, 1974 में हुई अपनी 14वीं बैठक में यह सिफारिश की कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि केवल कच्चे माल का उत्पाद करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है और न ही इसे पूंजी-निवेश माना जा सकता है तथा वानिकी कार्मिकों का उत्तरदायित्व डिपो को वानिकी उत्पाद का परिवहन तक ही सीमित है और इस बात पर भी विचार करते हुए कि आगामी 15 से 25 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में वानिकी संबंधी योजना बनाने के साथ-साथ औद्योगिक योजना भी बनानी होगी, संबंधित मन्त्रालयों के बीच और अधिक निकट सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अनुसरण में भारत सरकार ने निर्माण संबंधी लकड़ी के लिये एक विकास समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति का गठन इस प्रकार होगा।

1 वन महानिरीक्षक तथा पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)।	अध्यक्ष
2. राष्ट्रीय इमारत संगठन, नई दिल्ली का प्रतिनिधि।	सदस्य
3 राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, नई दिल्ली का प्रतिनिधि।	सदस्य
4 निर्माण तथा आवास मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि।	सदस्य
5. संभरण तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि।	सदस्य
6. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली का प्रतिनिधि।	सदस्य

7. रक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि — सदस्य
8. इजीनियरी प्रोजैक्ट (इडिया) लिमिटेड, का प्रतिनिधि। — सदस्य
9. अध्यक्ष, वन अनुसधान सस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून। — सदस्य
10. निदेशक, वन उत्पाद अनुसधान, वन अनुसधान सस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून। — सदस्य
11. महा वनपाल, उड़ीसा, कटक — सदस्य
12. उद्योग निदेशक, उड़ीसा, भुवनेश्वर — सदस्य
13. प्रभागीय वन अधिकारी, सरकारी आरा मिल, सिलीगुड़ी, पश्चिम बगाल — सदस्य
14. निदेशक, आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, ब्लाक 12ए, जामनगर हाउस, नई दिल्ली। — सदस्य
15. सहायक वन महानिरीक्षक (वन सस्थान) कृषि विभाग। — संयोजक

कार्य

1. मौजूदा उद्योगो को वन के कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति पर विचार करना, नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में आने वाली कठिनाइयो का पता लगाना और समुचित उपायो की सिफारिश करना।
2. मौजूदा एककों के विस्तार अथवा नए एककों की स्थापना करने के लिये वन के कच्चे माल की सप्लाई के प्रस्तावो पर विचार करना।
3. वन के कच्चे माल की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के आधार पर बागान लगाने के कार्यक्रम की सिफारिश करना।
4. उपर्युक्त कार्यों से संबंधित किसी अन्य पहलू पर अध्यक्ष की अनुमति से विचार करना।

समिति जब भी आवश्यक समझे किसी व्यक्ति/सगठन को सहयोजित कर सकती है।

समिति की अवधि

आरम्भ में समिति तीन वर्ष तक काम करेगी लेकिन इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।

समिति का मुख्य कार्यालय

समिति का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा। लेकिन समिति वनो पर आधारित उद्योगो से सबधित किसी भी महत्वपूर्ण केन्द्र में अपनी बैठक कर सकती है।

आदेश दिया जाता है कि सकल्प की एक-एक प्रति सभी सबधित अधिकारियो को प्रेषित कर दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

सकल्प

स० 7-9/76-एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी०—केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने अक्तूबर, 1974 में हुई अपनी 14वीं बैठक में यह सिफारिश की कि इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए कि केवल कच्चे माल का उत्पाद करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है और न ही इसे पूजी निवेश माना जा सकता है तथा वानिकी कार्मिको का उत्तरदायित्व डिपो को वानिकी उत्पाद का परिवहन तक ही सीमित है और इस बात पर भी विचार करते हुए कि आगामी 15 से 25 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में वानिकी सबन्धी योजना बनाने के साथ-साथ औद्योगिक योजना भी बनानी होगी, सबंधित मत्रालयो के बीच और अधिक निकट सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये। इस का अनुपालन करते हुए भारत सरकार ने तल में मिले बिरोजे, गोंद तथा इत्रो की विकास समिति का गठन करने का निर्णय किया है। समिति का गठन इस प्रकार होगा —

1. वन महानिरीक्षक, तथा पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मत्रालय (कृषि विभाग)। — अध्यक्ष
2. निदेशक, केन्द्रीय औषधीय वनस्पति सगठन लखनऊ — सदस्य
3. औद्योगिक विकास मत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि — सदस्य
4. वाणिज्य मत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि — सदस्य
5. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद्, नई दिल्ली का प्रतिनिधि। — सदस्य
6. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, नई दिल्ली का प्रतिनिधि। — सदस्य
7. अध्यक्ष, वन अनुसधान सस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून। — सदस्य
8. महावनपाल, असम, गोहाटी। — सदस्य
9. महावनपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला। — सदस्य
10. उद्योग निदेशक, असम, गोहाटी। — सदस्य
11. उद्योग निदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला। — सदस्य
12. प्रभारी अधिकारी, लघु वन उत्पाद शाखा, वन अनुसधान सस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून। — सदस्य
13. प्रभारी अधिकारी, वन उत्पाद रसायनशास्त्र, वन, अनुसधान सस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून। — सदस्य
14. महा प्रबन्धक, इडियन टरपिटाइन एण्ड रोसिन कम्पनी लिमिटेड, क्लटरबकगज, बरेली (उ० प्र०) — सदस्य
15. भारतीय इत्र सस्था, एच० बी० टी० आई०, कानपुर-2 का प्रतिनिधि। — सदस्य
16. भारतीय रसायन विनिर्माता, सस्था, इडियन एक्सचेज प्लेस, कलकत्ता-700001 — सदस्य
17. सहायक वन महानिरीक्षक, (वन सस्थान), कृषि विभाग। — संयोजक

कार्य

1. मौजूदा उद्योगो को कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति पर विचार करना, नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में आने वाली कठिनाइयो का पता लगाना तथा समुचित उपायो की सिफारिश करना,
2. मौजूदा एककों के विस्तार तथा नए एककों की स्थापना करने के लिये कच्चे माल की सप्लाई के प्रस्तावो पर विचार करना,
3. कच्चे माल की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के आधार पर बागान लगाने के कार्यक्रम की सिफारिश करना।
4. बाजार में नए उत्पाद को लाने के लिये विकास/अनुसधान सबधी प्रयत्नों की सिफारिश करना।
5. उपर्युक्त कार्यों से सबंधित किसी अन्य पहलू पर अध्यक्ष की अनुमति से विचार करना।

समिति जब भी आवश्यक समझे किसी व्यक्ति/सगठन को सहयोजित कर सकती है।

समिति की अवधि

आरम्भ में समिति तीन वर्ष तक काम करेगी लेकिन इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।

समिति का मुख्य कार्यालय :

समिति का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा। लेकिन समिति बनों पर आधारित उद्योगों से सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण केन्द्र में अपनी बैठक कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

संकल्प

सं० 7-9/76-एफ०आर० बाई०/एफ० आई० पी० सी०—केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने अक्तूबर, 1974 में हुई अपनी 14वीं बैठक में यह सिफारिश की कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि केवल कच्चे माल का उत्पाद करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है और न ही इसे पूंजी-निवेश माना जा सकता है तथा वानिकी कार्मिकों का उत्तरदायित्व डिपो की वानिकी उत्पाद का परिवहन तक ही सीमित है और इस बात पर भी विचार करते हुए कि आगामी 15 से 25 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में वानिकी सम्बन्धी योजना बनाने के साथ-साथ औद्योगिक योजना भी बनानी होगी, सम्बन्धित मंत्रालयों के बीच और अधिक निकट सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये। इसका अनुपालन करते हुए भारत सरकार ने लुगदी तथा कागज की एक विकास समिति का गठन करने का निर्णय किया है। समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1 वन महानिरीक्षक तथा पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)	अध्यक्ष
2 लुगदी, कागज तथा सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद् का प्रतिनिधि।	सदस्य
3. औद्योगिक विकास मन्त्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
4. योजना आयोग, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
5. वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
6. व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
7 मुख्य समन्वयक, राष्ट्रीय वन उत्पाद सर्वेक्षण	सदस्य
8. महा वनपाल, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद	सदस्य
9. महा वनपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल	सदस्य
10. महा वनपाल, बिहार, रांची	सदस्य
11. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली का प्रतिनिधि।	सदस्य
12 उद्योग निदेशक, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद	सदस्य
13 उद्योग निदेशक, मध्य प्रदेश, भोपाल	सदस्य
14 उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	सदस्य
15 अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून।	सदस्य
16. प्रभारी अधिकारी, लुगदी तथा कागज शाखा, वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून	सदस्य
17. सचिव, भारतीय कागज मिल संस्था, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-700001	सदस्य
18. सचिव, अखिल भारतीय लघु कागज विनिर्माता संस्था, बम्बई।	सदस्य
19. सहायक वन महानिरीक्षक (वन संस्थान), कृषि विभाग।	संयोजक

कार्य :—

1. मौजूदा उद्योगों को वन के कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति पर विचार करना, नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और समुचित उपायों की सिफारिश करना।
2. मौजूदा एककों के विस्तार अथवा नए एककों की स्थापना करने के लिये वन के कच्चे माल की सप्लाई के प्रस्तावों पर विचार करना।
3. वन के कच्चे माल की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के आधार पर बागान लगाने अथवा केनाफ आदि जैसी फसलों की खेती करने के लिये कार्यक्रमों की सिफारिश करना।
4. लुगदी तथा कागज उद्योगों के लिये अब तक प्रयोग न किये गए/अथवा कम प्रयोग किये गए कच्चे माल के संबंध में नीतियां तथा विकास कार्यक्रम बनाना।
5. उपर्युक्त कार्यों से संबंधित किसी अन्य पहलू पर अध्यक्ष की अनुमति से विचार करना।

समिति जब भी आवश्यक समझे किसी व्यक्ति/संगठन को सहयोजित कर सकती है।

समिति की अवधि .

आरम्भ में समिति तीन वर्ष तक काम करेगी लेकिन इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।

समिति का मुख्य कार्यालय :

समिति का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा। लेकिन समिति बनों पर आधारित उद्योगों से सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण केन्द्र में अपनी बैठक कर सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एस० के० सेठ,
वन महानिरीक्षक तथा
पदेन, अपर सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 1977

संकल्प

सं० 20-पी० जी० बी० (25)/73/पी० टी०—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा अपने संकल्प सं० 20-पी० बी० जी० (25)/73/पी० टी०, दिनांक 27-9-1974 और सं० 20-पी०जी०बी० (25)/73/पी० टी०, दिनांक 19-10-1974 द्वारा यथागठित राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड के संघटन में निम्नलिखित परिवर्तन करती है :—

सदस्य :

क्रम० सं० 12—वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर "श्री पी० राजशेखरन, सदस्य, राज्य सभा" पढ़ें।

क्रम सं० 20—वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर "श्री के० के० माधवन, सदस्य राज्य सभा" पढ़ें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग तथा संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाए।

बी० बी० महाजन, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 1977

सं० एन० एल० ई०/01/76-एम० टी०—सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, श्री पी० के० बनवारी को 13 दिसम्बर, 1976 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक के लिये दीपधर और दीपपोत विभाग में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में अस्थायी तौर पर सहायक इंजीनियर (सिविल), ग्रुप 'ब' (राजपत्रित) नियुक्त करते हैं।

श्रीमती बी० निर्मल, अवर सचिव

ऊर्जा मंत्रालय
(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 1977

सं० 55011/31/75-पी० आई० आर० (खंड-II)—भारत सरकार ने श्री के० एन० त्रिवेदी, ओवरमैन, सुदामडिह कोलियरी, डाकघर सुदामडिह, जिला धनबाद (बिहार) को उस समिति का एक सदस्य नियुक्त करने का निर्णय किया है जो राष्ट्रीयकृत खानों में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था पर विचार करने के लिये ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के 'संकल्प' दिनांक 5 जनवरी, 1976 के भाग I खंड I के अन्तर्गत नियुक्त की गई है।

के० सीतारामन, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 14th February 1977

No. U-13019/2/77-ANL.—In partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No 26/12/72-ANL, dated the 4th October, 1972, as amended from time to time, the President is pleased to direct that the following clause shall be inserted in para 2 of the said notification :—

"(f) the person for the time being representing Great Nicobar and Katchal on the Advisory Committee in respect of Union Territory of Andaman and Nicobar Islands associated with the Chief Commissioner of the Union Territory."

R L. PARDEEP, Director.

MINISTRY OF INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 13th January 1977

RESOLUTION

RESEARCH AND DEVELOPMENT IN CEMENT INDUSTRY

No 5-9/74-Cem—In partial modification of the former Ministry of Industry and Civil Supplies Resolution No. 5-9/74-Cem, dated the 7th July, 1975 constituting the Committee of Direction to administer the Research and Development in the Cement Industry, the Government of India in the Ministry of Industry have decided that Shri R. V. Raman, formerly Secretary (Industrial Development) should continue to be the Chairman of the Committee of Direction.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

D. K SAXENA, Jt. Secy.

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

New Delhi, the 18th February 1977

No L-11018/1/76-L&M.—In partial modification of erstwhile Department of Civil Supplies & Cooperation in the Ministry of Industry & Civil Supplies notification of even number dated 30th April 1976 and this Ministry's notifications of even number dated 23rd September 1976 and 28th October 1976 the Constitution of the Expert Committee on Professional Management will be as under :—

1. Shri M G. Balasubramanian, Secretary, Ministry of Civil Supplies & Cooperation — Chairman
2. Shri R. C Shukla, President, National Federation of Cooperative Sugar Factories, *New Delhi.* — Member
3. Shri P. R. Krishnan, Member, Governing Council, N.C U I. P O Eravimangalam, Trichur, *Kerala* — Member
4. Shri M. M. K. Wali, Chief Executive N.C.U.I. *New Delhi* — Member
5. Shri T. Balakrishnan, Jt. Secretary, Ministry of Civil Supplies & Cooperation, *New Delhi* — Member
6. Shri M. S. Gill, Managing Director N.C.D.C. *New Delhi* — Member
7. Shri K. Madhava Dass, Chief Officer, Reserve Bank of India A.C.D., *Bombay* — Member
8. Shri P. V. Shenoi, Secretary, Department of Cooperation, Government of West Bengal, *Calcutta* — Member
9. Shri R. Srinivasan, Director, Department of Rural Development *New Delhi* — Member
10. Prof. G. B. Kulkarni, Director, VMINCON, *Pune* — Member
11. Shri K. Sundararajulu, Chief (Coopt.) R.E.C., *New Delhi* — Member
12. Shri R. L. Nagpal, Dy. Director, Ministry of Civil Supplies & Cooperation, will function as Secretary to the Committee.

The term of the Expert Committee on Professional Management in Cooperative is extended upto 30th June 1977.

ORDER

ORDERED that a copy of the notification be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that a copy of the notification be communicated to all concerned.

B. L. GARG, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 9th February 1977

RESOLUTION

No. 7-9/76-FRY/FIPC.—The Central Board of Forestry at its XIV meeting held in October, 1974 recommended that there should be a much closer liaison between the Ministries concerned in view of the fact that growing of raw materials is not an end in itself nor can it be considered as an investment, the responsibility of forestry personnel ending with transport of the produce to the depot; and also considering that industrial planning has to be made alongwith forestry perspective planning for 15—25 years. Pursuant to this, the Government of India have decided to constitute a Develop-

ment Committee for Match Industry. The composition of the Committee shall be as follows :—

1 Inspector General of Forests & *Ex-officio* Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture). Chairman

2 Representative from Ministry of Industrial Development, New Delhi. Member

3 Representative from Ministry of Commerce, New Delhi Member

4. Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi. Member

5 Representative from Planning Commission, New Delhi. Member

6 Representative from Sivakasi Chamber of Match Industries, Sivakasi (South India)-626123. Member

7. President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun. Member

8. Chief Conservator of Forests, Andaman & Nicobar Islands, Port Blair. Member

9. Chief Conservator of Forests, Maharashtra, Pune. Member

10 Chief Coordinator, National Forest Resources Survey Member

11. Director of Industries, Andaman, & Nicobar Island, Port Blair. Member

12. Director of Industries, Maharashtra, Bombay. Member

13. Representative from Western India Match Company Ltd, India Merchandise Chambers, Nicol Road, Ballard Estates, Bombay-400001. Member

14. Assistant Inspector General of Forests (FI), Department of Agriculture Convenor

Functions :

1. To consider the wood raw materials supply position to the existing industries, identify the difficulties in ensuring sustained supply and recommend suitable measures,

2 To consider proposals for wood raw materials supply for the expansion of existing units or establishment of new ones;

3. To recommend a programme for the creation of plantations based on the present and prospective needs of wood raw materials.

4. To formulate developmental/research programmes for utilisation of hitherto un-or underutilised wood raw materials

5. Any other aspect relating to above with the permission of the Chair.

The committee may coopt any individual/organisation as and when considered necessary.

Duration of the Committee :

Initially the Committee will function for three years and may be extended from time to time

Headquarters of the Committee :

The Headquarters of this Committee will be New Delhi. However, the Committee may meet at important centres connected with the forest-based industries.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No 7-9/76-FRY/FIPC.—The Central Board of Forestry at its XIV meeting held in October, 1974 recommended that there should be a much closer liaison between the Ministries concerned in view of the fact that growing of raw materials is not an end in itself nor can it be considered as an investment, the responsibility of forestry personnel ending with transport of the produce to the depot; and also considering that industrial planning has to be made alongwith forestry perspective planning for 15—25 years Pursuant to this, the Government of India have decided to constitute a Development Committee for Constructional Timbers The composition of the Committee shall be as follows —

1 Inspector General of Forests & *Ex-officio* Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation, (Department of Agriculture). Chairman

2 Representative from National Buildings Organisation, New Delhi. Member

3 Representative from National Buildings Construction Corporation, New Delhi. Member

4. Representative from Ministry of Works and Housing, New Delhi. Member

5 Representative from Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi. Member

6. Representative from Railway Board, New Delhi. Member

7. Representative from Ministry of Defence, New Delhi. Member

8 Representative from Engineering Projects (India) Ltd. Member

9. President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun. Member

10. Director, Forest Products Research, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun Member

11 Chief Conservator of Forests, Orissa, Cuttack. Member

12. Director of Industries, Orissa, Bhubaneswar. Member

13. Divisional Forest Officer, Government Saw Mills, Siliguri, West Bengal Member

14. Director, Housing and Urban Development Corporation Ltd., Block 12A, Jamnagar House, New Delhi. Member

15. Assistant Inspector General of Forests (FI), Department of Agriculture. Convenor

Functions :

1. To consider the wood raw materials supply position to the existing industries, identify the difficulties in ensuring sustained supply and recommend suitable measures;

2 To consider the proposals for wood raw materials supply for expansion of existing units or establishment of new ones;

3. To recommend a programme for the creation of plantations based on the present and prospective needs of wood raw materials.

4. Any other aspect relating to above with the permission of the Chair.

The Committee may coopt any individual/organisation as and when considered necessary

Duration of the Committee :

Initially the Committee will function for three years and may be extended from time to time.

Headquarters of the Committee :

The Headquarters of this Committee will be New Delhi. However, the Committee may meet at important centres connected with the forest-based industries.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No 7-9/76-FRY/FIPC.—The Central Board for Forestry at its XIV meeting held in October, 1974 recommended that there should be a much closer liaison between the Ministries concerned in view of the fact that growing of raw materials is not an end in itself nor can it be considered as an investment, the responsibility of forestry personnel ending with transport of the produce to the depot, and also considering that industrial planning has to be made alongwith forestry perspective planning for 15—25 years. Pursuant to this, the Government of India have decided to constitute a Development Committee for Oleo-resins, Gums and Essential Oils. The composition of the Committee shall be as follows :—

1 Inspector General of Forests & *Ex-officio* Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) Chairman

2. Director, Central Indian Medicinal Plants Organisation, Lucknow Member

3 Representative of Ministry of Industrial Development, New Delhi. Member

4. Representative of Ministry of Commerce, New Delhi Member

5 Representative of Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi Member

6 Representative of National Chemical Laboratory, Pune. Member

7. President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun. Member

8 Chief Conservator of Forest, Assam, Gauhati. Member

9 Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh, Simla Member

10. Director of Industries, Assam, Gauhati Member

11 Director of Industries, Himachal Pradesh, Simla. Member

12. Officer In-Charge, Minor Forest Products Branch, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun. Member

13. Officer-in-Charge, Chemistry of Forest Products, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun Member

14. General Manager, Indian Turpentine & Rosin Company Ltd, Clutterbuckganj, Bareilly (U.P.). Member

15. Representative from Essential Oil Association of India, H.B.T.I, Kanpur-2 Member

16 Indian Chemical Manufacturers Association, India Exchange Place, Calcutta-700001 Member

17 Assistant Inspector General of Forests (FI), Department of Agriculture Convenor

Functions :

1 To consider the raw materials supply position to the existing industries, identify the difficulties in ensuring sustained supply and recommend suitable measures,

2 To consider proposals for raw materials supply for the expansion of existing units or establishment of new ones;

3. To recommend programmes for the creation of plantations based on the present and prospective needs of raw materials,

4. To recommend development/research efforts for pushing new products into the market,

5. Any other aspect relating to above with the permission of Chair

The Committee may co-opt any individual/organisation as and when considered necessary.

Duration of the Committee

Initially the Committee will function for three years and may be extended from time to time.

Headquarters of the Committee :

The Headquarters of this Committee will be New Delhi. However, the Committee may meet at important centres connected with the forest-based industries

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 7-9/76-FRY/FIPC.—The Central Board of Forestry at its XIV meeting held in October, 1974 recommended that there should be a much closer liaison between the Ministries concerned in view of the fact that growing of raw materials is not an end in itself nor can it be considered as an investment, the responsibility of forestry personnel ending with transport of the produce to the depot; and also considering that industrial planning has to be made alongwith forestry perspective planning for 15—25 years. Pursuant to this, the Government of India have decided to constitute a Development Committee for Pulp and Paper. The composition of the Committee shall be as follows :—

1 Inspector General of Forests & *Ex-officio* Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture). Chairman

2. Representative of Development Council for Pulp, Paper and Allied Industries. Member

3. Representative from Ministry of Industrial Development, New Delhi. Member

4. Representative from Planning Commission, New Delhi Member

5 Representative from Ministry of Commerce, New Delhi. Member

6. Representative from Trade Development Authority, New Delhi. Member

7. Chief Coordinator, National Forest Resources Survey. Member

8. Chief Conservator of Forests, Andhra Pradesh, Hyderabad Member

9. Chief Conservator of Forests, Madhya Pradesh, Bhopal. Member

10 Chief Conservator of Forests, Bihar, Ranchi. Member

11. Representative of Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi. Member

12. Director of Industries, Andhra Pradesh, Hyderabad. Member

13 Director of Industries, Madhya Pradesh, Bhopal. Member

14 Director of Industries, Bihar, Patna. Member

15 President, Forest Research Institute, and Colleges, Dehra Dun Member

16 Officer-in-Charge, Pulp & Paper Branch, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun Member

17 Secretary, Indian Paper Mills Association, India Exchange Place, Calcutta-700001.

18. Secretary, All India Small Scale Paper Manufacturers Association, Bombay. Member

19 Assistant Inspector General of Forests (FI) Department of Agriculture. Convenor

Functions .

1 To consider the forest raw materials supply position to the existing industries, identify the difficulties in ensuring sustained supply and recommend suitable measures,

2 To consider proposals for forest raw materials supply for the expansion of existing units or establishment of new ones;

3. To recommend programmes for the creation of plantation or cultivation of crops like kenaf etc, based on the present and prospective needs of forest raw materials.

4 To formulate policies and development programmes in respect of hitherto un/or under-utilised raw materials for pulp and paper industries.

5 Any other aspect relating to above with the permission of the Chair.

The Committee may coopt any individual/organisation as and when considered necessary

Duration of the Committee :

Initially the Committee will function for three years and may be extended from time to time.

Headquarters of the Committee .

The Headquarters of this Committee will be New Delhi. However, the Committee may meet at important centres connected with the forest-based industries.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S K. SETH, Inspector General of Forests & *Ex-officio* Addl. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(TRANSPORT WING)

New Delhi, the 10th February 1977

RESOLUTION

No 20-PGB(25)/73/PT —The Central Government hereby makes the following modification in the composition of the National Harbour Board as constituted by the Ministry of Shipping and Transport *vide* their Resolution No 20-PGB (25)/73/PT, dated 27th September 1974 and No. 20-PGB (25)/73/PT, dated 19th October 1974 :-

Members

S No 12 *Read* "Shri P Rajasekharam, Member, Rajya Sabha" for the existing entry.

S No 20 *Read* "Shri K K Madhavan, Member, Rajya Sabha", for existing entry.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Board, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission Ministries/Departments of the Government of India and the State Governments concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

B B. MAHAJAN, Jt. Secy

New Delhi-110001, the 10th February 1977

No LLE/91/76-MT.—The Secretary, Ministry of Shipping and Transport, is pleased to appoint Shri P K. Vanvari as Assistant Engineer (Civil) Group 'B' (Gazetted) in the Department of Lighthouses and Lightships in the pay scale of Rs 650— 30— 740— 35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in temporary capacity with effect from the forenoon of the 13th December, 1976 until further orders.

Smt. B. NIRMAL, Under Secy

MINISTRY OF ENERGY
(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 14th February 1977

No. 55011/31/75-PIR(VOL-II).—The Government of India have decided to appoint Shri K. N. Trivedi, Overman, Sudamdih Colliery. P O Sudamdih, District Dhanbad (Bihar) as a member of the Committee constituted to examine the whole question of safety in the nationalised mines, under Resolution dated the 5th January, 1976 of the Ministry of Energy (Department of Coal) in Part I Section I

K SITARAMAN, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977